न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

(1) मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.313 / अपील / 2018 (GCMS No. 2018 / 00541)	23.07.2018	16.07.2024

दिलीप सिंह आ. रणवीर जाति राजपूत निवासी गायत्री सदन, बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रणवीर आ. अडीसाल सिंह जाति राजपूत, निवासी गायत्री सदन, बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
2. श्रीमती चिमन कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी मदन सिंह राजपूत, निवासी चिमन कुटीर,बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तह.एवं जिला बून्दी
3. श्रीमती विष्णु कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी गजेन्द्र सिंह हाडा जाति राजपूत, नि.सिनियर राजगढ हाउस, श्रीपुरा कोटा।
4. श्रीमती केशव कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी द्वारकानाथ सिंह, जाति राजपूत नि. बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तह.एवं जिला बून्दी
5. श्रीमती रमा कुमारी पुत्री अडीसालसिंह पत्नी शिवप्रताप सिंह नरूका जाति राजपूत, निवासी पुराना बग्गी खाना, नयापुरा कोटा।
6. श्रीमती मीनू कुमारी पुत्री अडीसालसिंह पत्नी बृजेन्द्र सिंह झाला जाति राजपूत, निवासी झाला हाउस, बस डिपो कुन्हाड़ी कोटा।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

(2) मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.314 / अपील / 2018 (GCMS No. 2018 / 00542)	23.07.2018	16.07.2024

चाँदकँवर पत्नी रणवीर जाति राजपूत निवासी गायत्री सदन, बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

– अपीलान्ट

जिला कलेक्टर, बून्दी

बनाम

1. श्री रणवीर आ. अडीसाल सिंह जाति राजपूत, निवासी गायत्री सदन, बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
2. श्रीमती चिमन कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी मदन सिंह राजपूत, निवासी चिमन कुटीर,बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तह.एवं जिला बून्दी
3. श्रीमती विष्णु कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी गजेन्द्र सिंह हाडा जाति राजपूत, नि.सिनियर राजगढ हाउस, श्रीपुरा कोटा।
4. श्रीमती केशव कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी द्वारकानाथ सिंह, जाति राजपूत नि. बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तह.एवं जिला बून्दी
5. श्रीमती रमा कुमारी पुत्री अडीसालसिंह पत्नी शिवप्रताप सिंह नरूका जाति राजपूत, निवासी पुराना बग्गी खाना, नयापुरा कोटा।
6. श्रीमती मीनू कुमारी पुत्री अडीसालसिंह पत्नी बृजेन्द्र सिंह झाला जाति राजपूत, निवासी झाला हाउस, बस डिपो कुन्हाड़ी कोटा।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

(3) मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.315/अपील/2018	23.07.2018	16.07.2024
(GCMS No. 2018/00543)		

1. श्रीमती प्रियंका सिंह विधवा स्व. जयसिंह सोलंकी जाति राजपूत, निवासी गायत्री सदन,बहादुर सिंह सर्किल,बून्दी तह.एवं जिला बून्दी
2. सुश्री शुभांगी सोलंकी पुत्री स्व. जयसिंह सोलंकी जाति राजपूत, निवासी गायत्री सदन,बहादुर सिंह सर्किल,बून्दी तह.एवं जिला बून्दी
3. देवांगी सोलंकी पुत्री स्व. जयसिंह सोलंकी नाबालिग जर्ये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी स्व. जयसिंह सोलंकी निवासी गायत्री सदन,बहादुर सिंह सर्किल,बून्दी तह.एवं जिला बून्दी
4. प्रियवृत सोलंकी पुत्र स्व. जयसिंह सोलंकी नाबालिग जर्ये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी स्व. जयसिंह सोलंकी निवासी गायत्री सदन,बहादुर सिंह सर्किल,बून्दी तह.एवं जिला बून्दी

– अपीलान्टस

बनाम

1. श्री रणवीर आ. अडीसाल सिंह जाति राजपूत, निवासी गायत्री सदन, बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
2. श्रीमती चिमन कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी मदन सिंह राजपूत, निवासी चिमन कुटीर,बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तह.एवं जिला बून्दी

Addl. Collector, Bundi

3. श्रीमती विष्णु कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी गजेन्द्र सिंह हाडा जाति राजपूत, नि.सिनियर राजगढ हाउस, श्रीपुरा कोटा।
4. श्रीमती केशव कुमारी पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी द्वारकानाथ सिंह, जाति राजपूत नि. बहादुर सिंह सर्किल, बून्दी तह.एवं जिला बून्दी
5. श्रीमती रमा कुमारी पुत्री अडीसालसिंह पत्नी शिवप्रताप सिंह नरूका जाति राजपूत, निवासी पुराना बग्गी खाना, नयापुरा कोटा।
6. श्रीमती मीनू कुमारी पुत्री अडीसालसिंह पत्नी बृजेन्द्र सिंह झाला जाति राजपूत, निवासी झाला हाउस, बस डिपो कुन्हाड़ी कोटा।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4, 6 की ओर से श्री मुकेश जोशी, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से श्री निखिल शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 887 दिनांक 31.07.2004 ग्राम देवपुरा, बून्दी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पृथक–पृथक पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार अडीसाल सिंह वल्द भूर सिंह कौम राजपूत निवासी बून्दी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपीलें प्रस्तुत होने पर क्रमांक 313/2018, 314/2018 एवं 315/2018 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर क्रमशः GCMS No. 2018/00541, GCMS No. 2019/00542 एवं GCMS No. 2019/00543 ऑनलाईन इन्द्राज किये गये। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पर उभयपक्ष को सुना गया। अपीलांटस द्वारा उनके पक्ष में खातेदार द्वारा वसीयत निष्पादित किये जाने से खातेदार की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटस के हित निहित होने से वे अपीलाधीन नामान्तरकरण से व्यथित पक्षकार है, अतः अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। न्यायहित में प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अपील की अनुमति प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनों अपीलों में रेस्पोडेंटस एवं विषयवस्तु एक ही होने से तीनों अपीलों को इस एक ही निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है। इस निर्णय की मूल प्रति अपील संख्या 313/2018 की पत्रावली के संलग्न रखी जाकर एक–एक प्रमाणित प्रति अन्य दोनों अपीलों 314/2018 एवं 315/2018 में शामिल पत्रावली की जावे।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 100 मीन, 101 मीन, 102, 103, 104, 105, 106 मीन, 107 मीन, 108, 109/1 मीन कुल किता 10 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा ग्राम देवपुरा, बून्दी के खातेदार श्री अड़ीसाल सिंह पुत्र भूर सिंह कौम राजपूत निवासी बून्दी का फोती नामान्तरकरण संख्या 887 दिनांक 31.07.2004 को रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 के नाम खोला गया। पूर्व खातेदार अडीसाल सिंह ने अपने जीवनकाल में अपील विषयक कृषि भूमि में से कुछ भाग सहित सम्पत्ति की वसीयत अपने पौत्र अपीलांट दिलीप सिंह आ. रणवीर के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 22.07.1997 को, अपनी पुत्रवधु अपीलांट चाँदकँवर पत्नी रणवीर के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 22.07.1997 को एवं अपीलांट प्रियंका सिंह के पति वसीयतकर्ता के पौत्र स्वर्गीय जयसिंह सोलंकी आ. रणवीर के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 22.07.1997 को निष्पादित करके खातेदार अडीसाल सिंह की मृत्यु के बाद अपीलांटस को मालिक बना दिया था। पूर्व खातेदार अडीसाल सिंह की मृत्यु के पश्चात वसीयत दिनांक 22.07.1997 में अंकित सम्पत्ति पर अपीलांटस अपने अपने हिस्से पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मौके पर कब्जे की जांच किये बिना तथा उत्तराधिकारियों को नोटिस जारी किये बिना, अखबार में सम्मन का प्रकाशन किये बिना वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिताओं के बजाय रेस्पो.सं.1 लगायत 6 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत नियमित राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में लम्बित है जिसमें पक्षकारों के अधिकार अंतिम रूप से निर्णीत होंगे। अपील विषयक नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटस को जमाबंदी देखने एवं पटवारी हल्का से बातचीत करने पर दिनांक 20.06.2018 को हुई। उसी दिन अपीलांट ने नकल नामान्तरकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, दिनांक 25.06.2018 को नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से नकल प्राप्त करने की अवधि मुजरा दिये जाने के उपरान्त अपील अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत हुई है। फिर भी किसी कारणवश विलम्ब माना जावे तो विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांटस ने अपने कथन के समर्थन में 1998 आर.आर.डी. पेज 319 एवं 1998 आर.आर.डी. पेज 370 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2, 3, 4, 6 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का आगे गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस द्वारा यह अपील काफी देरी से पेश की गई है। अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 20.06.2018 को होना बताया है जबकि नामान्तरकरण वर्ष 2004 में ही दर्ज हो चुका है। खातेदार श्री अडीसाल सिंह का दिनांक 14.12.2002 को स्वर्गवास हो गया था। अपीलांटस मृतक खातेदार अडीसाल सिंह के पौत्र एवं पुत्रवधु है जिनको अपने दादा/ससुर के देहान्त की पूरी जानकारी थी तथा उनके खाते की आराजी पर अपीलांटस के पिता/पति सहित अन्य वारिसान के पक्ष में फोती इन्तकाल खोले जाने की भी अपीलांटस को प्रारम्भ से ही जानकारी थी। वादग्रस्त आराजी पर काबिज होने के आधार पर अपीलांटस द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष में वाद बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा भूमि धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट दिनांक 17.12.2014 को पेश किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की प्रारंभ से ही जानकारी होते हुये भी यह अपीलें देरी से पेश की गई है। अपीलांटस द्वारा पेश अपीलें अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य होना बताते हुये अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपीलों को मियाद के बिन्दू पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2, 3, 4, 6 ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस यहां अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 22.07.1997 को आधार बनाकर विरासत नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने हेतु अपीलें पेश की गई है जबकि उक्त वसीयतें बनावटी व कूटरचित होने से इन्हें निष्प्रभावी व अवैध घोषित किये जाने बाबत वाद प्रकरण संख्या 83/2021 एवं 84/2021 सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किये हुये है, जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम सं.1 बून्दी में वर्तमान में विचाराधीन है। उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का विरासत नामान्तरकरण विधिक उत्तराधिकारियों के नाम तस्दीक किया जा चुका है। नामान्तकरण कार्यवाही फिस्कल है जिसमें कथित वसीयतनामा के आधार पर किसी के हितों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में उक्त सिविल वाद में वसीयत की वैधता का परीक्षण होने तक विरासत के नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर; बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 31.07.2004 की दिनांक 20.06.2018 को जानकारी होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर दिनांक 18.07.2018 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम देवपुरा के अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित कृषि भूमि का खातेदार अड़ीसाल सिंह वल्द भूरसिंह कौम राजपूत निवासी बून्दी थे। खातेदार अड़ीसाल सिंह के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण संख्या 887 दिनांक 31.07.2004 तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि खातेदार अड़ीसाल सिंह द्वारा उनके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी वारिसान के पक्ष में फोती इन्तकाल खोल दिया गया, जो निरस्त किया जावे। जबकि रेस्पो. का तर्क है कि वसीयत सक्षम न्यायालय से साबित नहीं होने से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तस्दीक किया गया विरासत का नामान्तरकरण विधिसम्मत मानते हुये अपीलें खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति सिविल न्यायाधीश, कोटा उत्तर के विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दीवानी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 4813/18 के अवलोकन से वाद विषयक आराजी बाबत सिविल वाद लम्बित होना प्रकट है। इस पत्रावली पर पेश प्रार्थना पत्र द्वारा श्रीमती मीनू उर्फ मीना कुमारी दिनांक 25.06.2024 के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि वसीयत दिनांक 22.07.1997 के विरूद्ध सिविल वाद प्रकरण संख्या 83/2021 एवं 84/2021 न्यायालय सिविल न्यायाधीश कम सं. 1 बून्दी में विचाराधीन है, जिसमें उक्त वसीयतों की वैधता का निर्धारण होना है। इसी प्रकार अपीलांटस की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 90 राजस्थान टीनेसी एक्ट वास्ते विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारान के हकों का अंतिम निर्धारण होना है।

जिला कलक्टर, बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांटस द्वारा अपने पक्ष में वसीयत होना बताया है, किन्तु खातेदार श्री अडीसाल सिंह का दिनांक 14.12.2002 को देहान्त हो जाने के बाद अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत पेश करके वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु दिनांक 31.07.2004 से पूर्व कोई आवेदन किया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं है। जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण रिकार्डेड खातेदार अडीसाल सिंह के फोत हो जाने पर उसके वारिसान की जांच की जाकर विधिक उत्तराधिकारियों पक्ष में तस्दीक किया गया है। खातेदार की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना कानूनन आवश्यक होता है। अपीलांटस ने रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 के खातेदार अडीसाल सिंह के विधिक वारिसान होने बाबत कोई चुनौती पेश नहीं की है। अतः प्रकरण में विरासत के बिन्दू पर स्थिति निर्विवाद पायी गई। ऐसे में बिना कोई वसीयत सामने आये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में कोई विधिक दोष प्रमाणित नहीं होता है। जहां तक अपीलांटस के पक्ष में वसीयत निष्पादित होने का प्रश्न है तो इस संबंध में सिविल न्यायालय में विचाराधीन सिविल वादों के निर्णय से वसीयत प्रमाणित होने की दशा में उक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। वादग्रस्त आराजी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में विचाराधीन अधिकार घोषणा के नियमित राजस्व वाद के निर्णय से पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण हो सकेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिससे किसी के हक अधिकार तय नहीं किये जाते, यह मात्र भूमि के लगान वसूली की प्रकिया है। पूर्व में विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक हो जाने के बाद, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां नियमित राजस्व वाद पेश किया गया है, ऐसे में विचाराधीन नियमित वाद के दौरान अब पूर्व में तस्दीक विरासत के नामान्तरकरण पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है, फलस्वरूप तीनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुये तीनों अपीले अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी